कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/3313 दिनांक 2/5/2006

परिपत्र

राज्य के वन क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण के अधिक से अधिक कार्य कराया जाना वन क्षेत्रों के विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है। वन क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य हेतु विभागीय धनराशि पर्याप्त नहीं होने के कारण यह भी आवश्यक है कि सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि से भी इस प्रकार के कार्य अधिक से अधिक संख्या में कराये जायें। राज्य के कुछ जिलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया है। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर ही मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। राज्य के जिन जिलों में यह योजना प्रारम्भ की गयी है उनमें से अधिकतर में वन क्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्रफल में है एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिये इन वन क्षेत्रों में कार्य खोले जाना आवश्यक है।

वन विभाग के माध्यम से ऐसे कार्यों को कराने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु वन विभाग के पास संसाधन सीमित होने के कारण एक सीमा से अधिक कार्य वन विभाग के माध्यम से खोला जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस परिस्थिति में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वन क्षेत्र में विकास कार्य विशेषकर जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य अन्य विभागों/एजेन्सियों के माध्यम से कराये जा सकते हैं। इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ.14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/10233 दिनांक 01.11.2002 द्वारा वन क्षेत्र में अन्य विभागों/संस्थाओं के माध्यमसे मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण हेतु यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप वन संरक्षक की सिफारिश पर वन संरक्षक द्वारा जारी परिपत्र में निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुऐ स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार हेतु स्थानीय स्तर पर तत्काल काम खोलने के प्रावधानों के मध्ये नजर रखते हुए पूर्व में जारी परिपत्र में इस प्रकार संशोधन करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, जिससे एक तरफ तो स्थानीय स्तर पर कार्य विशेषकर जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य सुगमता एवं शीघ्रता से वन क्षेत्र में खोले जा सके वहीं दूसरी तरफ वन क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो जिन्हें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी गतिविधियाँ कहा जा सके।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन विभाग के अतिरिक्त किसी भी अन्य विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जावेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों के मध्येनजर रखते हुए पूर्व परिपत्र क्रमांक एफ. 14(जी)2002/ वसु/प्रमुवसं/10233 दिनांक 01.11.2002 में आंशिक संशोधन करते हुऐ निम्नांकित व्यवस्था स्थापित की जाती है कि जिन जिलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गयी है उन जिलों में वन क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यों को वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों एवं संस्थाओं के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है :–

1. वन क्षेत्र में की जाने वाली इन जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का मुख्य उद्देश्य केवल वन संवर्धन एवं पारिस्थितिकीय विकास ही होना चाहिये।

2. इस हेतु बनाये जाने वाले एनीकट की ऊँचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में सिंचाई/जल संसाधन विभाग द्वारा जारी शर्तों की अनुपालना भी वांछनीय होगी। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धित उप वन संरक्षक को पृष्ठांकित की जावेगी।

3. बनाये जाने वाले एनीकट अथवा अन्य संरचनाओं आदि से सिंचाई के लिये पानी नहीं लिया जावेगा।

4. ऐसी समस्त जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री जैसे पत्थर एवं रेत आदि वन क्षेत्रों के बाहर से ही लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि वन संपदा एवं वन्य जीव जन्तुओं को हानि नहीं पहुंचायी जावे।

5. वन क्षेत्र के अन्दर कोई श्रमिक शिविर नहीं रखा जावेगा। वन क्षेत्र में श्रमिकों को छाया इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था अस्थायी प्रकार से ही की जाये तथा वन क्षेत्र में स्वीकृत कार्य को संपादित कराने के नाम पर कोई व्यक्ति वन क्षेत्र में निवास नहीं करे।

6. सम्बन्धित उप वन संरक्षक की सहमति से ही वन क्षेत्र के अन्दर कार्य किया जावेगा और यदि किसी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो उप वन संरक्षक की सिफारिश पर जिला कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग/संस्थाओं को जारी की गयी स्वीकृति को निरस्त तथा कार्य तुरन्त बन्द करना होगा।

7. इन संरचनाओं पर स्वामित्व वन विभाग का रहेगा।

8. कार्य / कार्य स्थल के संबंध में कोई विवाद होने पर संबंधित कार्यकारी प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी एवं संबंधित सहायक वन संरक्षक/ उप वन संरक्षक द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत समाधान किया जावेगा। यदि इससे समाधान नहीं होता है तो उसकी सुनवाई वन संरक्षक द्वारा की जावेगी तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा।

9. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों में जिला कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों का उल्लेख किया जावेगा जो कार्यकारी संस्थाओं के लिये बाध्यकारी होगा। इन स्वीकृतियों की एक प्रति सम्बन्धित उप वन संरक्षक को आवश्यक रूप से दी जायेगी।

10. वन क्षेत्र में जिस विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है उस विभाग के सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

11. स्वीकृत कार्यों में जिन कार्यों के सम्बन्ध में कार्यकारी अन्य विभाग जैसे पंचायती राज विभाग इत्यादि हैं, के फील्ड स्तर के कार्मिकों द्वारा कार्य शुरू कराये जाने से पूर्व वन विभाग के स्थानीय क्षेत्रीय वन अधिकारी/वनपाल/सहायक वनपाल/वनरक्षक को कार्य का मौका दिखा दिया जायेगा जिसका उपयुक्त रिकार्ड सम्बन्धित रेंज कार्यालय में रखा जावेगा। वक्त निरीक्षण वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा इनके तहत बनाये गये विभिन्न नियम एवं परिपत्रों का उल्लघन पाया जावे तो तत्काल प्रकरण उप वन संरक्षक को रिपोर्ट किया जावेगा जो तत्त्काल इसे रूकवाने की कार्यवाही करेंगे।

12. सम्बन्धित उप वन संरक्षक ऐसी प्राप्त स्वीकृति के आधार पर यदि यह पाते हैं कि कोई कार्य ऐसा स्वीकृत हो गया है जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी गतिविधि में आता है तो उस कार्य की निरस्ती हेतु वे तत्काल जिला कलेक्टर को सूचित करेंगे, जो उप वन संरक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें तत्काल निरस्त करेंगे।

अतः उपरोक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुऐ अन्य विभाग/संस्थाओं को वन क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य करने की अनुमति प्रदान की जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि दी गयी अनुमति के अतिरिक्त वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में उल्लेखित कोई गैर वानिकी गतिविधियाँ न हो पाये।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/3314-40 दिनांक : 2/5/2002

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्लेक्स नई दिल्ली।

2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान।

3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री वन ,पर्यावरण एवं खनिज विभाग, राजस्थान
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन ,पर्यावरण एवं खनिज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वन विभाग।
6. जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर/डूँगरपुर/बांसवाड़ा/ सिरोही / करौली / झालावाड।
7. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/कोटा/उदयपुर।
8. वन संरक्षक, पूर्वीवृत कोटा/पश्चिमी वृत,उदयपुर/भू–संरक्षण,जयपुर।
9. उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण)/ उदयपुर (उत्तर)/उदयपुर (मध्य) /डूंगरपुर/बांसवाड़ा/सिरोही/करौली/झालावाड़।
10. रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर